

ज्ञापांक-279/तक0/2022

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-17वीं जनवरी 2022

सेवा में,

Ashok Kumar Gupta and Others,
Jayshree Dream Homes Pvt.Ltd. and KKA Developers. JV,
Flat No. 302, Maa Laxmi Plaza,
Shahjanand Chowk, Harmu, Ranchi.

विषय:- मौजा-हुरहुरु, प्लॉट नं0-1053, 1054, 1055, 1056, 1059, 1060, खाता नं0-1, 15, 32, वार्ड नं0-35, थाना-147, जिला-हजारीबाग में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय Block -A,(B+G+11), Block-B (2B+G+11) एवं Block-C (B+G+8) भवनों हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय भवनों की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, हजारीबाग के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-31 दिनांक-13.01.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय Block -A,(B+G+11), Block-B (2B+G+11) एवं Block-C (B+G+8) भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित आवासीय भवनों के परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 2,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक से अग्निशमन वाहन को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवनों के प्रत्येक ब्लॉक में अग्निशमन कार्य हेतु पच्चीस-पच्चीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. प्रत्येक भवनों के प्रत्येक स्टेयरकेश में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ 150mm डायामेटर का एक-एक वेट राइजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होजरील होज, 63mm डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
5. प्रत्येक भवनों के बेसमेन्ट, सतही एवं सभी ब्लॉकों के प्रत्येक तलों के स्टेयरकेश लॉबी को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
6. भवनों के चारों तरफ 150mm डायामेटर वाला रिंग मेन्स का निर्माण किया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
7. प्रत्येक भवनों में अग्निशमन कार्य हेतु 2280 Lpm क्षमता वाले एक-एक अदद फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. प्रत्येक भवनों में 900 Lpm क्षमता वाले एक-एक टेरस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
10. ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेडर से Inter Connected रहेंगे।
11. प्रत्येक भवनों में एक-एक जाँकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम 3.5 kg / CM² दाब की क्षमता हो।
12. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
13. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।
14. भवनों की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से ही कराया जाय।

JAISHREE AND KKA DEVELOPERS V.

Rose
Partner

